20-6-24 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगाई गई। वकील वादी स्वयं एवं उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय समाप्ति की ओर है। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसंवी (जैसलपुर) राज.